तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/2421/2005/बांसवाडा सरकार बनाम अब्दुल अयूब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-8-2020	**एकल पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित–** श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 82 एवं धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत विद्वान अति0कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2003 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 23–02–2005 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, कुशलगढ ने विद्वान जिला कलक्टर, बांसवाडा के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम खुंदनीहाला, तहसील कुशलगढ स्थित आराजी खसरा नम्बरान 305 रकबा 15 बिस्वा, 349 रकबा 7 बीघा, 303 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा का आवंटन अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में किया गया और अप्रार्थी संख्या–1 ने भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् खसरा नम्बर 534/349 रकबा 7 बीघा का बेचान अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में कर दिया। अप्रार्थी संख्या–2 ने खसरा नम्बर 534/349 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा 4 बिस्वा को आबादी में रुपान्तरित करवाया जिसका नामांतरकरण संख्या 598 दिनांक 18.4. 2002 को खारिज किया गया। आवंटन निरस्ती की कार्यवाही में अति0 कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा ने दिनांक 31.7.2001 को आवंटन की शर्तें पूरी नहीं करने पर भी अप्रार्थी संख्या–1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के मामले में खातेदारी अधिकारों को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आशय के साथ निर्णित किया। इसके अनुसरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अति0कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2003 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 23–02–2005 से हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय उप अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/2421/2005/बांसवाडा सरकार बनाम अब्दुल अयूब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी प्रारम्भतः चरागाह की भूमि रही है और चरागाह की भूमि का आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की कभी पालना नहीं की और कृषि कार्य किए बिना ही गलत प्रकार से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। प्रश्नगत आवंटन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अति0कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा के समक्ष नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 31.7.2001 के द्वारा यह माना गया है कि आवंटन की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। अविधिक रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं, अतः खातेदारी अधिकारों को निरस्त कराए जाने हेतु जो रेफरेन्स अनुशंषा मण्डल के समक्ष अति0 कलक्टर, बांसवाडा द्वारा की गई है वह स्वीकार की जाए। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। हमने बहस पर मनन किया एवं अति0 कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खुंदनीहाला, तहसील कुशलगढ स्थित आराजी खसरा नम्बरान 305 रकबा 15 बिस्वा, 349 रकबा 7 बीघा, 303 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा का आवंटन अप्रार्थी संख्या–1 अब्दंल अयूब के पक्ष में किया गया और गैर खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 117 दिनांक 28.11.1973 स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में भूमि के खातेदारी अधिकार नामांतरकरण संख्या 247 दिनांक 6.3.1981 से प्रदान किए गए और खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या–1 नें खसरा नम्बर 534/349 रकबा 7 बीघा का बेचान अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में किया जिसका नामांतरकरण संख्या 509 दिनांक 22.10.1994 स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 ने खसरा नम्बर 534/349 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा 4 बिस्वा को आबादी में रुपान्तरित करवाया जिसका नामांतरकरण संख्या 598 दिनांक 18.4.2002 को खारिज किया गया। प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि प्रश्नगत आवंटन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अति0कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा के समक्ष राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन–1970) के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 4/97 खातुराम वगैरा बनाम अब्दुल अयूब वगैरा प्रस्तुत किया गया जिसमें अति0 कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा निर्णय दिनांक 31.7.2001 के द्वारा यह माना गया है कि आवंटन की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। उक्त निर्णय की अनुपालना में खातेदारी निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, कुशलगढ द्वारा प्रस्तुत किए गए रेफरेन्स प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/2421/2005/बांसवाडा सरकार बनाम अब्दुल अयूब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र को आक्षेपित अनुशंषा के तहत अति0 कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि आवंटीगण के पक्ष में जो आवंटन किया गया वह शर्तो के स्पष्ट रुप से उल्लंघन में होना पाया गया है और अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जो खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं वे भी नियमों के विपरीत रहे हैं। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में भूमि का बेचान किया जाना एवं भूमि कृषि से अकृषि में रुपान्तरित हो जाने के बाद खातेदारी अधिकारों को निरस्त कराया जाना रेफरेन्स अनुशंषा में उचित माना गया है। अतः प्रकरण में निहित तथ्यों व परिस्थितियों तथा रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अति0कलक्टर, प्रशासन, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2003 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 23–02–2005 से मण्डल को अभिशंषित किया गया हस्तगत रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाता है। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बरान 305 रकबा 15 बिस्वा, 349 रकबा 7 बीघा, 303 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा पर खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त करने तथा प्रश्नगत भूमि को पुनः उसके मूल स्वरुप में राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नियमानुसार नम्बर से कम हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ वापिस भिजवाया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोजकुमार नाग)** **सदस्य**	